भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में स्टाफ कैंटीन में दिनांक 06 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कैटरिंग के लिए निविदा

प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख: 30 मार्च 2020 अपराह्न 05.00 बजे तक
निविदा (भाग- I) खोले जाने की तारीख: 31 मार्च 2020 अपराह्न 03.00 बजे
स्थान: मानव संसाधन प्रबंध विभाग (मासंप्रवि), भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना

भाग- I – तकनीकी और वाणिज्यिक

प्रेषक
……..
……..
……..

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
दक्षिणी गांधी मैदान, पटना- 800 001

क्र.सं.	विवरण	कंपनी/ फर्म/ एजेंसी द्वारा ब्यौरा भरा जाना है
1.	कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का नाम	
2.	कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का पंजीकृत कार्यालय/ व्यावसायिक पता	
3.	निगमन/ गठन की तारीख	
4.	बैंक खाता का ब्यौरा	
5.	पटना में प्रतिष्ठान का नाम और पता (समर्थक दस्तावेजों के साथ)	
6.	कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का ई-मेल आई डी	
7.	कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का प्रतिनिधि का मोबाईल नंबर	
	प्री-योगता पात्रता हेतु मानदंड	
8.	कार्य अनुभव- कंपनी/फर्म/एजेंसी द्वारा वर्तमान या पिछले तीन वर्षों मे कैट्रिंग सेवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र संगठन, विश्वविधयालय, प्रतिष्ठित संगठन आदि में प्रदान किया जाने से संबंधित सूचना (साक्ष्य प्रस्तुत करें)	
9.	वैध FSSAI प्रमाणपत्र या राज्य सरकार द्वारा कैटरिंग सेवा चलाने हेतु लाईसेंस	
10.	ठेकेदार की ऋण पात्रता तथा विशिष्ट अवधि (वर्षवार) के दौरान	

	टर्नओवर। (ऋणपात्रता के साक्ष्य के रूप में ठेकेदार के कारोबार के अद्यतन लेखाविवरण तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले तीन वर्ष के टर्नओवर के विवरण के साथ आयकर रिटर्न/ आयकर मूल्यांकन आदेश की प्रतियाँ संलग्न की जाए।)	
11.	कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का जी.एस.टी. रजिस्ट्रसन संख्या	
12.	क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन पंजीकृत है? पंजीकरण की तीरीख आदि (समर्थक दस्तावेजों के साथ)	
13.	उस बैंक का नाम और पता जहाँ ठेकेदार का खाता है। इसके साथ पूर्ण विवरण जैसे कि नाम, डाक का पता, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स न. आदि भी दिया जाए।	
14.	ठेकेदार और उनके वर्तमान संपर्क एक्ज़िक्यूटिव्स के ग्राहकों के नाम और पते- संपर्क एक्ज़िक्यूटिव्स के नाम, डाक का पता, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स न. इत्यादि के साथ ग्राहकों के नाम और उनका पूरा पता (अर्थात वे व्यक्ति जिनसे ग्राहक के कार्यालय में बैंक आवश्यकता पड़ने पर संपर्क कर सके) प्रस्तुत किया जाना है। (कम से कम 02, प्रटिष्ठित संगठन मे काम किये जानेवाले कंपनी/फर्म को महत्व दिया जायेगा)*	
15.	क्या कंपनी/फर्म/एजेंसी के पास संबंधित व्यावसायिक योग्यता प्राप्त कारिक हैं (सुपरवाइज़री स्तर पर आतिथ्य में डिग्री/डिप्लोमा)। यदि ऐसा है तो कार्मिक का नाम और उसकी योग्यता बताएं|	
16.	क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष वार्षिक टर्नओवर रु. 9.00 लाख का है जो लेखापरीक्षित या सीए द्वारा सत्यापित लेखा विवरण से समर्थित हो।	
17	बयाना राशि का ब्यौरा (डीडी सं. और तारीख)	

* कंपनी/फर्म/एजेंसी द्वारा अतिरिक्त कार्य अनुभव से संबंधित सूचना अलग से दिया जा सकता है।

बैंक के पास उपर्युक्त पहलुओं के लिए साक्ष्य की मांग करने/ सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित है।

भाग- I – तकनीकी और वाणिज्यिक (केवल SHG/SHG फ़ैडरेशन हेतु)

प्रेषक

……..
……..
……..

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
दक्षिणी गांधी मैदान, पटना- 800 001

क्र.सं.	विवरण	कंपनी/ फर्म/ एजेंसी द्वारा ब्यौरा भरा जाना है
1.	**कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का नाम**	
2.	**कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का पंजीकृत कार्यालय/ व्यावसायिक पता**	
3.	**निगमन/ गठन की तारीख**	
4.	**बैंक खाता का ब्यौरा**	
5.	**पटना में प्रतिष्ठान का नाम और पता (समर्थक दस्तावेजों के साथ)**	
6.	**कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का ई-मेल आई डी**	
7.	**कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का प्रतिनिधि का मोबाईल नंबर**	
	प्री-योगता पात्रता हेतु मानदंड	
8.	**कार्य अनुभव- कंपनी/फर्म/एजेंसी द्वारा वर्तमान या पिछले एक वर्ष मे कैट्रिंग सेवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र संगठन, विश्वविधयालय, प्रतिष्ठित संगठन आदि में प्रदान किया जाने से संबंधित सूचना (साक्ष्य प्रस्तुत करें)**	
9.	**वैध FSSAI प्रमाणपत्र या राज्य सरकार द्वारा कैटरिंग सेवा चलाने हेतु लाईसेंस**	
10.	**ठेकेदार की ऋण पात्रता तथा विशिष्ट अवधि (वर्षवार) के दौरान टर्नओवर। (ऋणपात्रता के साक्ष्य के रूप में ठेकेदार के कारोबार के अद्यतन लेखाविवरण तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले एक वर्ष के टर्नओवर के विवरण के साथ आयकर रिटर्न/ आयकर मूल्यांकन आदेश की प्रतियाँ संलग्न की**	

	जाए।)	
11.	कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का जी.एस.टी. रजिस्ट्रसन संख्या	
12.	NRLM registration संबन्धित उचित दस्तावेज़	
13.	उस बैंक का नाम और पता जहाँ ठेकेदार का खाता है। इसके साथ पूर्ण विवरण जैसे कि नाम, डाक का पता, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स न. आदि भी दिया जाए।	
14.	ठेकेदार और उनके वर्तमान संपर्क एक्ज़िक्यूटिव्स के ग्राहकों के नाम और पते- संपर्क एक्ज़िक्यूटिव्स के नाम, डाक का पता, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स न. इत्यादि के साथ ग्राहकों के नाम और उनका पूरा पता (अर्थात वे व्यक्ति जिनसे ग्राहक के कार्यालय में बैंक आवश्यकता पड़ने पर संपर्क कर सके) प्रस्तुत किया जाना है। (कम से कम 02, प्रटिष्ठित संगठन मे काम किये जानेवाले कंपनी/फर्म को महत्व दिया जायेगा)*	
15.	क्या पिछले एक वर्ष के दौरान हर वर्ष वार्षिक टर्नओवर रु. 4.00 लाख का है जो लेखापरीक्षित या सीए द्वारा सत्यापित लेखा विवरण से समर्थित हो।	
16	बयाना राशि का ब्यौरा (डीडी सं. और तारीख)	

* कंपनी/फर्म/एजेंसी द्वारा अतिरिक्त कार्य अनुभव से संबंधित सूचना अलग से दिया जा सकता है।

बैंक के पास उपर्युक्त पहलुओं के लिए साक्ष्य की मांग करने/ सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित है।

घोषणा

1. मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उपर्युक्त जानकारी सही है और यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो मुझे निविदा प्रक्रिया से / संविदा दिए जाने से वंचित किया जा सकता है।

2. मैं/हम अनुलग्नक I में यथा उल्लिखित बैंक द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/ हैं।
3. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि हमारी निविदा बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए निविदा खोले जाने से 90 दिनों तक वैध रहेगी और यह वैधता अवधि बैंक और हमारे बीच निश्चित अवधि के लिए हुए लिखित परस्पर करार तक बढ़ाई जा सकती है। मैं/हम निविदा की वैधता अवधि तक बयाना राशि को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

4. हम यह समझते हैं कि किसी भी या सभी निविदाओं को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के पास सुरक्षित है।

दिनांक: ..... 2020 का ..... दिन

हस्ताक्षर:
नाम:
ठेकेदार की मुहर:

(यह फार्मैट अलग लिफाफे में जमा किया जाएगा और लिफाफे पर **"भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में स्टाफ कैंटीन में कैटरिंग के लिए निविदा- तकनीकी और वाणिज्यिक बोली, भाग- I"** लिखना है और बैंक की बिल्डिंग की पहली मंजिल पर मानव संसाधन प्रबंध विभाग में जमा करना है या वहाँ रखे गए बॉक्स में ड्रॉप करना है। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख है **30 मार्च 2020 अपराह्न 05.00 बजे तक** तथा निविदा का भाग- I **31 मार्च 2020 को अपराह्न 3.00 बजे मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिणी गांधी मैदान,पटना-800001** मे खोला जाएगा।

नोट:

1. **यदि सभी विवरण पूरी तरह विधिवत नहीं भरे गए हों या आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए गए हों तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।** इस संबंध मेंबैंक का निर्णय अंतिम होगा तथा इससे संबंधित किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. **निविदा दस्तावेजों के भाग I और भाग II के अलग-अलग न होने पर निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।**
3. **निविदा प्रकिरया की शर्तों को पूर्णा करने वाली महिला स्वयं सहता समूहो को अन्य न्यूनतम डाककर्त्ता के समतुल्य उनकी बोली होने की स्थिति में प्रतमिकता दी जाएगी।**

अनुलग्नक I

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में स्टाफ कैंटीन में कैटरिंग के लिए निबंधन और शर्तें

1. **संविदा की अवधि**

   आरंभ में यह संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा जिसका बैंक के विवेकानुसार नवीकरण किया जा सकता है।

2. **भुगतान की शर्तें**

   कार्यालय के द्वारा कोई भी नियत पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। कैंटीन में खाद्य सामग्री की बिक्री कर आमदनी करेगा जिसके लिए स्टाफ नकद या सोडेक्सो मील कूपन द्वारा भुगतान करेंगे। **कैंटीन को सभी मूल्यवर्ग का वैध सोडेक्सो मील कूपन तथा सोडेक्सो मील कार्ड स्वीकार करना होगा तथा उन्हें अपने स्तर पर ही सोडेक्सो कंपनी से प्रतिपूर्ति प्राप्त करना होगा।**

3. **स्थान**

   कैंटीन के लिए कैटरिंग सेवा सामान्य तौर पर दक्षिणी गांधी मैदान, पटना स्थित मुख्य कार्यालय भवन के एनेक्स बिल्डिंग की दुसरी मंजिल पर प्रदान की जाएगी। इस भवन में पैंट्री और डाइनिंग हॉल की सुविधा उपलब्ध है।

4. **कैंटीन समय:**

   कैंटीन को सभी कार्यदिवसों को पूर्वाह्न 9.00 बजे से 11.00 बजे तक, अपराह्न 12.30 बजे से 2.30 बजे तक तथा अपराह्न 4.00 बजे से 5.00 बजे तक खुला रखना है। स्टाफ कैंटीन अपनी सेवा केवल आरबीआई स्टाफ, रिटाइर स्टाफ एवं अन्य अधिकृत लोगो को ही देगा।

5. **बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर**

   (**क**) खाना पकाने के लिए बर्तनों के साथ पैंट्री बैंक द्वारा दिया जाएगा। अतिरिक्त बरतनों की व्यवस्था कैट्रर द्वारा स्वंय किया जाना है। हालांकि, एलपीजी रिफिलिंग, खाद्य पदार्थ तथा परिवहन संबंधी व्यय का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। बैंक परिसर में केरोसिन का उपयोग वर्जित है।

   (**ख**) टेबल, कुर्सी, वाटर प्यूरीफायर के साथ डाइनिंग एरिया।

   (**ग**) बिजली का कनेक्शन/ विद्युत उपस्करों के लिए पॉइंट आदि। बिजली के बिल और जल आपूर्ति संबंधी व्यय का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा।

6. क्रॉकरी/ कट्लरी

बैंक द्वारा कोई भी क्रॉकरी/लरी प्रदान नहीं किया जाएगा। कैंटीन को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।.

7. मेन्यू

सांकेतिक मेन्यू जैसे कि टी/ शाकाहारी लंच/मांशाहारी लंच आदि संलग्न है।

8. रसोई और चाय पैंट्री- स्वच्छता और स्वास्थ्य

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन की रसोई में ही खाना/ चाय बनाई तैयार की जाए। स्वच्छता के उच्चतम मानक को बनाए रखना है और इसकी जांच समय-समय पर बैंक द्वारा तथा बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेब, वाटर कूलर आदि के समुचित रख-रखाव के अलावा बर्तनों की स्वच्छता और रख-रखाव को भी कड़ाई से सुनिश्चित करना है। खाना/ चाय की असंतोषप्रद/ अस्वास्थ्यकर गुणवत्ता या किसी तरह की रूकावट/कमी आदि के लिए दंड लगाया जाएगा जो केवल बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। रसोई बैंक की निरंतर देख-रेख में होगा और किसी प्रकार की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा। खाना/चाय को स्वास्थ्यकर ढंग से पकाया जाना चाहिए तथा रसोई में ही सही ढंग से कवर किए गए स्टेनलेस स्टील के बर्तन में निकाल लिया जाना चाहिए।

खाना/ चाय बनाने के लिए उच्च पूफा कंटेंट वाली और अच्छी गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री तथा खाना पकाने के माध्यम का उपयोग करना है। ठेकेदार को रसोई, डाइनिंग हॉल तथा पैंट्री क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखना है।

9. कैटरिंग स्टाफ

किचन स्टाफ तथा सर्विस स्टाफ की नियुक्ति ठेकेदार द्वारा की जाएगी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी प्रकार से उनकी नियुक्ति की शर्तों या श्रम कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

ठेकेदार अपने द्वारा नियुक्त सर्विस स्टाफ की जानकारी देगा। स्टाफ को साफ-सूथरा यूनिफार्म पहनना होगा जिसपर नेम प्लेट लगा हो। साथ ही, उन्हें शालीन, शिष्ट और सजग रहना होगा। उन्हें व्यापार से परिचित होना चाहिए तथा टेबल सर्विस का आवश्यक अनुभव होना चाहिए। कार्यदिवसों पर तथा बैंक की आवश्यकतानुसार किसी अनुय दिन सेवा घंटों के दौरान बैंक में एक योग्य प्रबंधक मौजूद होना चाहिए। उस प्रबंधक में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए तथा सर्विस स्टाफ पर उसका नियंत्रण होना चाहिए।

बैंक के पास आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी/ कामगार को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। किसी कार्मिक के छुट्टी लेने की स्थिति में ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्टाफ कैंटीन में निर्बाध सेवा/ वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे। हालांकि, किसी कार्मिक को बार-बार बदले जाने से बचना है।

जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, ठेकेदार को अपनी खर्च पर स्टाफ कैंटीन में काम पर लगाए गए कैटरिंग स्टाफ की आवधिक मेडिकल जांच करानी होगी। **ठेकेदार को कार्य ग्रहण करने के एक महीने के अंदर किसी सरकारी अस्पताल से वार्षिक मेडिकल चेक अप तथा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और पूर्ववृत्त प्राप्त करने तथा बैंक में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी होगी और ऐसा न होने पर संविदा समाप्त कर देने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।**

10. श्रम कानूनों का पालन

ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित सभी अपेक्षाओं को पूरा करने और उनका पालन करेगा। ठेकेदार लाउंज में कैटरिंग सर्विस में किसी भी नाबालिगको काम पर् नहीं लगाएगा। ठेकेदार सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी तथा वीडीए का भुगतान बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाना सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार काम पर लगाए गए सभी कामगार स्टाफ का दैनिक उपस्थिति रजिस्टर के साथ-साथ बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किए जाने वाले भुगतान का मस्तर रोल रजिस्टर रखेगा। अधिकृत प्रतिनिधि प्रत्येक वर्कमैन स्टाफ के नाम के सामने भुगतान को अभिप्रमाणित करेगा। ठेकेदार को सभी रजिस्टरों को बनाए रखना है तथा उसे इस बात के लिए सक्षम होना चाहिए कि जब कभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा मांग की जाए वह रजिस्टरों को प्रस्तुत कर सके।

कार्य सौंपे जाने के पहले ठेकेदार से यथा लागू मूल्य के 'नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर' पर इस आशय का वचन लिया जाएगा कि संविदा दिए जाने पर व किसी खास कार्य/परियोजना को पूरा करने के लिए उसके द्वारा काम पर लगाए गए सभी मजदूरों को वह वास्तव में उतनी मजदूरी देगा जितनी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित दर से कम न हो। साथ ही, वह ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के अधीन यथा निर्धारित आवश्यक सुविधाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा उसके द्वारा उक्त मजदूरी का भुगतान न किए जाने तथा सुविधाएं प्रदान न किए जाने के लिए सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए जाने वाली कार्रवाई के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। जब भी ठेकेदार ठेका मजदूर के रूप में 20 कामागारों से अधिक लोगों को काम पर लगाता है तो उसे ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए ठेका मजदूरों की कुल संख्या केवल भारतीय रिज़र्व बैंक में काम पर लगाए गए मजदूरों की संख्या नहीं होगी बल्कि इसमें अन्य प्रतिष्ठानों में भी लगाए गए मजदूर भी शामिल होंगे।

ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या अन्य कानून, जैसा लागू हो के अधीन जैसा निर्धारित किया गया है, लाइसेंस प्राप्त करेगा और ऐसा न करने पर केवल वह किसी भी होने वाली कार्रवाई/ कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार के किसी कार्य, भूल-चूक के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा तथा ठेकेदार द्वारा मजदूरों के प्रति बैंक की किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं होगी। NRLM registered SHG जिनपे जो कानून लागू नहीं होते है उन्हे उपरयुक्त जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है ।

11. बीमा

सफल ठेकेदार संविदा के लिए "ऑल-रिस्क पॉलिसी" तथा काम पर लगाए गए कामगारों के लिए एक साल की "वर्कमेन कम्पंसेशन पॉलिसी" लेगा जिसका नवीकरण उसके बाद आगे किया जा सके यदि बैंक द्वारा संविदा का नवीकरण किया जाता है। ठेकेदार संविदा अवधि के दौरान बैंक को होने वाली किसी प्रकार की हानि या क्षति, जो किसी व्यक्ति या भवन या किसी तीसरे पक्षकार को हो सकती है, के लिए क्षतिपूरित करेगा। यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को नहीं लेता है तो बैंक के पास अपने विवेकानुसार ठेकेदार के बिल से हानि या क्षति की कीमत वसूल करने का अधिकार सुरक्षित है। संविदा सौंपे जाने के एक महीने के अंदर बीमा पॉलिसी की प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी है और ऐसा न किए जाने पर बैंक के पास संविदा समाप्त करने का अधिकार है।

12. संविदा समाप्त करने के लिए नोटिस

i बैंक के पास संविदा अवधि की वैधता के दौरान एक महीने का लिखित नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताए, संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। हालांकि, कैटरर समयपूर्व समाप्ति के लिए किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
ii. साथ ही, यदि कैटरर सेवाएँ देना बंद करना चाहे, तो वह दो महीने का लिखित पूर्व नोटिस देकर संविदा समाप्त कर सकता है।
ii. संविदा की न्यूनतम अवधि के लिए सेवाएँ उपलब्ध कराने में विफल रहने पर, बैंक के पास सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई बयाना जमाराशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

13. रसोई/ डाइनिंग एरिया/ चाय पैंट्री का रख-रखाव

ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि रसोई/ डाइनिंग हॉल/ पेरिफेरल एरिया तथा सभी क्रॉकरी और कट्लरी की सफाई रोजाना की जाती है और उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि स्टाफ द्वारा बचे हुए खाना का समुचित निपटान किया जाए और यह ध्यान रखा जाए कि रसोई में दिए गए आउटलेट्स/ नाली जाम न हों या उन्हें क्षति न पहुँचे। उपर्युक्त व्यय का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा तथा बैंक द्वारा कोई भी सफाई की सामग्री नहीं दी जाएगी।

14. दंड

बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दर अनुसूची के विनिर्देशनों की तुलना में सेवा में कोई भी कमी तथा चाय/कॉफी/स्पेशल लंच आदि की गुणवत्ता और परिमाण में किसी प्रकार की कमी स्वीकार्य नहीं है। ठेकेदार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान कर तथा अपेक्षित नोटिस देने के बाद ऐसे उल्लंघन के लिए दंड लगाया जाएगा।

15. **बयाना राशि**

ठेकेदार को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बयाना राशि के रूप में रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की राशि (वापसी योग्य) का भुगतान करना होगा। (**कृपया नोट करें कि बयाना राशि का डीडी निविदा आवेदन के भाग-I के साथ जमा किया जाना है और ऐसा न करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।)** यह राशि SHGs के लिए रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) है। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सफल निविदाकर्ता को किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी और भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के पक्ष में देय रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की कार्यनिष्पादन गारंटी जमा करनी होगी जिसे संविदा अवधि समाप्त होने के एक महीने बाद तक के लिए वैध रहना चाहिए। यह राशि SHGs के लिए रु. 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) है।

16. निविदा खोला जाना

निविदा का भाग- I (तकनीकी और वाणिज्यिक) को ठेकेदारों/ उनके प्रतिनिधियों जो उपस्थित रहना चाहें, की उपस्थिति में 31 मार्च 2020 को अपराह्न 03.00 बजे खोला जाएगा। भाग- II (कीमत बोली) केवल उन ठेकेदारों का खोला जाएगा जिन्हें बैंक द्वारा भाग- I की जांच के बाद योग्य पाया जाएगा जोकि 02 अप्रैल

2020 को अपराहन 03:00 बजे खोला जायेगा। इस संबंध मे बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

17. निविदा का मूल्यांकन

ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली सामग्री का सांकेतिक मेन्यू दिया गया है तथा लगने वाली लागत के संबंध में ठेकेदार को हिसाब करने में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा कीमत बोली के मूल्यांकन के लिए उद्धृत दरों के साथ भारिता दी गई है। इसी का उल्लेख निविदा के भाग- II में किया गया है। बैंक के लिए यह बाध्यकर नहीं है कि वह न्यूनतम बोली को या किसी अन्य कोटेशन को स्वीकार करे।

नोट- ठेकेदार यदि चाहें तो कार्य का परिमाण निर्धारित करने के लिए दरों को उद्धृत करने के पहले साइट/कार्यस्थल देख सकते हैं।

18. सामान्य शर्तें

क) ठेकेदार उक्त संविदा किसी अन्य को नहीं देगा। इस संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में संविदा को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

ख) जहाँ भी लागू हो, भारतीय मानक ब्यूरो/ आईएसआई के विनिर्देशनों/एगमार्क/एफओए आदि का पालन किया जाना है।

ग) उक्त करार को ठेकेदार द्वारा बैंक से नियुक्ति प्राप्त किया जाना नहीं माना जाएगा या उसका बैंक की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। संविदा पूरा होने पर या बैंक जब भी निर्णय करे ठेकेदार और उसके स्टाफ बैंक परिसर को तुरंत खाली कर देंगे तथा बैंक द्वारा उसे दी गई क्रॉकरी के सामान/ सभी सामान वापस कर देगा।

घ) बैंक द्वारा अपेक्षित किसी भी अन्य आकस्मिक सेवा के लिए, जो संविदा के अंदर कवर न हो, हर बार अलग से बातचीत की जाएगी।

ङ) संलग्न सांकेतिक मेन्यू के खाली स्थान में विधिवत हस्ताक्षरित कोटेशन तारीख सहित जमा किया जाना है।

च) दरों को शब्दों और अंकों दोनों में उद्धृत करना है। इसका उल्लंघन करने पर कोटेशन को रद्द किया जा सकता है। सभी दरों में यथा लागू सभी कर शामिल होंगे।

छ) निविदा फार्म हिंदी या अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए और सभी प्रविष्टि हाथ द्वारा स्याही से लिखा जाना चाहिए। यदि निर्धारित कोई भी दस्तावेज छूटा हुआ हो या हस्ताक्षर न किया गया हो तो बैंक के विवेकानुसार इसे अवैध माना जा सकता है।

ज) बैंक द्वारा अपूर्ण फार्मों या बिना समुचित दस्तावेजी साक्ष्य वाले फार्मों (जैसा कि वांछित है) को बैंक द्वारा सीधे रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

झ) निविदा को दो भागों में अलग-अलग तैयार किया जाएगा और अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में में जमा किया जाएगा और उन दोनों लिफाफों के ऊपर स्पष्ट रूप से क्रमशः **"भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में स्टाफ कैंटीन में कैटरिंग के लिए निविदा- तकनीकी और वाणिज्यिक, भाग- I"**तथा **"भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में स्टाफ कैंटीन में कैटरिंग के लिए निविदा- कीमत बोली, भाग- II"**लिखा होना चाहिए और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिणी गांधी मैदान, पटना को संबोधित होना चाहिए। टेलीग्राफिक, फैक्स तथा ई-मेल से भेजी गई निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार का पूरा नाम, डाक का पता,

ई-मेल पता तथा टेलीफैक्स/ टेलीफोन न. सीलबंद लिफाफे के नीचे बांयी ओर लिखा होना चाहिए।

ञ) मुहर के साथ समुचित हस्ताक्षर के बिना लिखाई में कुछ जोड़ा हुआ, बाद में लिखा हुआ, परिवर्तन किया हुआ वैध नहीं होगा। सभी विधिवत अभिप्रमाणित संलग्नकों/ अनुलग्नकों के साथ निविदाओं की प्रतियों को पूर्ण होना चाहिए। ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर मुहर के साथ हस्ताक्षर करना चाहिए।

ट) निविदा जमा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निविदा को समझ लिए जाने के संकेत के रूप में निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न होने के की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। किसी फर्म की ओर से निविदा जमा किए जाने की स्थिति में सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किया किया जाएगा या उस भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जिसे फर्म की ओर से प्रस्तावित संविदा करने का प्राधिकार हो। ऐसा न होने पर बैंक द्वारा निविदा को रद्द किया जा सकता है।

ठ) संविदा के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा पटना स्थित न्यायालयों में ही किया जाएगा।

19. यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

क) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन का उत्तरदायित्व पूरी तरह से ठेकेदार/ एजेंसी का होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (पटना कार्यालय) के परिसर के भीतर अपने किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत की स्थिति में ठेकेदार/ एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी तथा उक्त शिकायत के संबंध में ठेकेदार/ एजेंसी समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

ख) ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी से बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

ग) ठेकेदार के कर्मचारियों की संलिप्तता की स्थिति में भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा, उदाहरण के लिए यदि ठेकेदार के किसी कर्मचारी द्वारा की गई यौन हिंसा प्रमाणित हो जाती है तो बैंक कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत।

घ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा संबंधित मामलों के संबंध में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

ङ) ठेकेदार अपने उन कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची बैंक को उपलब्ध कराएगा जिन्हें बैंक परिसर में काम पर लगाया गया है।

20. सत्यनिष्ठा की शर्त

नियोक्ता की ओर से यह वादा करना कि किसी भी ऐसे लाभ की इच्छा न करना या स्वीकार न करना, जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है। नियोक्ता द्वारा सभी बोली लगाने वालों के साथ बराबरी और विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करना। बोलीदाताओं की ओर से कीमतों, विशिष्टताओं, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों आदि के संबंध में अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई लाभ या तालमेल की पेशकश नहीं करने का वादा करना। बोलीदाताओं को नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी को दूसरों के व्यापार संबंध के हिस्से के रूप में पारित नहीं करना है और प्रतिबद्ध नहीं करना है। पीसी / आईपीसी अधिनियम

के तहत कोई अपराध। बोलीकर्ताओं को उनके द्वारा एजेंटों / दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करना। बोलीदाताओं को किसी भी अन्य कंपनी के साथ किसी भी तरह के अपराध का खुलासा करना होगा जो भ्रष्टाचार निरोधक सिद्धांत पर प्रभाव डाल सकता है। विदेशी बोलीदाता भारत में एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करने के लिए और भारतीय बोलीदाताओं को अपने विदेशी प्रिंसिपलों या सहयोगियों का खुलासा किया जाना है।

मैं/हम एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि हमने इस निविदा से संबंधित उपर्युक्त सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

ठेकेदार/ भागीदार का हस्ताक्षर

नाम:

मुहर:

पता:

तारीख:

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में स्टाफ कैंटीन में कैटरिंग के लिए निविदा

भाग- II- केवल कीमत बोली- कार्यक्षेत्र के आधार पर

निविदा की कीमत बोली का मूल्यांकन करते वक्त विभिन्न सामग्रियों के उद्धृत दरों में निम्नलिखित भारिता निर्दिष्ट की जाएगी।

क्र.सं	सामग्री का नाम	भारिता आवंटित
1.	चाय Tea (150 ml)	2.5%
2.	बेसिक लंच (वेज) चावल/रोटी (4 पीस), दाल, एक सब्जी (सीज़नल), पापड़, अँचार	25%
3.	बेसिक लंच (नॉन-वेज) चावल/रोटी (4 पीस), दाल, एक नॉन-वेज सामग्री (मछली, चिकन या मटन), पापड़, अँचार	27.5%
4.	स्पेशल वेज (150 ग्राम)	3%
5.	मटन (150 ग्राम)	3%
6.	चिकन (150 ग्राम	3%
7.	मछली (150 ग्राम	3%
8.	अंडा करी (2 अंडे)	3%
9.	रोटी (चपाती)	2.5%
10.	पराठा (02 पीस + दही)	2.5%
11.	आलू/सत्तु/अन्य कुछ भरा हुआ पराठा पराठा (2 पीस) दही के साथ	2.5%
12.	लिट्टी चोखा (2 पीस)फ्राइड	2.5%
13.	लिट्टी चोखा (2 पीस) बेकड	2.5%
14.	समोसा (प्रति पीस)	2.5%
15.	ब्रेड ऑमलेट (2 ब्रेड और सिंगल ऑमलेट)	2.5%
16.	ऑमलेट (2 अंडो का)	2.5%
17.	छोले भटूरे (2 भटूरा)	2.5%
18.	रसगुल्ला/ गुलाब जामुन (प्रति पीस)	2.5%
19.	मसाला डोसा	2.5%
20.	इडली(०२ पीस) + सांभर + 01 वडा	2.5%

नोट: ऊपर उल्लिखित परिमाण के आधार पर बैंक कोई बिक्री का न्यूनतम प्रतिबद्धता नहीं देगा। कैंटीन को अपनी बिक्री के आधार पर आमदनी करनी होगी।

प्रेषक .....

.....

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
दक्षिण गांधी मैदान, पटना- 800 001

<u>सांकेतिक मेन्यू</u>

(नीचे सभी सामग्रियों के लिए उद्धृत दर को सभी करों को शामिल करने के बाद लिखा जाए)

क्र.सं	**सामग्री का नाम**	क्वालिटी	**दर (सभी करों को जोडकर) (रुपये मे)**
1.	चाय Tea (150 ml)	ताजमहल/ रेड लेबल	
2.	बेसिक लंच (वेज) चावल/रोटी (4 पीस), दाल, एक सब्जी (सीज़नल), पापड़, अँचार		
3.	बेसिक लंच (नॉन-वेज) चावल/रोटी (4 पीस), दाल, एक नॉन-वेज सामग्री (मछली, चिकन या मटन), पापड़, अँचार		
4.	स्पेशल वेज (150 ग्राम)	पनीर/ मशरूम	
5.	मटन (150 ग्राम)	अच्छी क्वालिटी	
6.	चिकन (150 ग्राम	अच्छी क्वालिटी	
7.	मछली (150 ग्राम	रोहू/कतला	
8.	अंडा करी (2 अंडे)		
9.	रोटी (चपाती)	आशीर्वाद/पिल्सबरी	
10.	पराठा (02 पीस + दही)	आशीर्वाद/पिल्सबरी	
11.	आलू/सत्तु/अन्य कुछ भरा हुआ पराठा पराठा (2 पीस) दही के साथ	आशीर्वाद/पिल्सबरी	
12.	लिट्टी चोखा (2 पीस)फ्राइड		
13.	लिट्टी चोखा (2 पीस) बेकड		
14.	समोसा (प्रति पीस)		
15.	ब्रेड ऑमलेट (2 ब्रेड और सिंगल ऑमलेट)	मॉरिश ब्रेड	
16.	ऑमलेट (2 अंडो का)		
17.	छोले भटूरे (2 भटूरा)		
18.	रसगुल्ला/ गुलाब जामुन (प्रति पीस)		
19.	मसाला डोसा		
20.	इडली(०२ पीस) + सांभर + 01 वडा		

ठेकेदार/ ठेकेदारों का हस्ताक्षर:

ठेकेदार/ ठेकेदारों का नाम:

पता:

स्थान:

तारीख: